P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-9*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण एवं लोकायुक्त

विनोद कुमार
सहायक आचार्य,
राजनीति शास्त्र विभाग,
श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय,
झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के लिये भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग प्रमुख चुनौती है। प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में भ्रष्टाचार युगो से चली आ रही घटना है और इसके लिए मंत्रालय तथा सिविल सेवा एक दुसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते। यह सर्वव्यापी हो गया है और इसने जीवन के हर क्षेत्र को इस सीमा तक प्रभावित कर दिया है कि अब तो इसे जीवन पद्धति के रूप में ही माना जाने लगा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो, जो इससे अछूता हो। पद का दुरूपयोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में शासनतंत्र सच्चरित्रता की कमी, कुशासन और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रसित है। भ्रष्टाचार के विषय में विश्वस्तरीय सर्वे करने वाला जर्मनी का एक गैर सरकारी संगठन ''ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल'' द्वारा वर्ष 2018 के लिए किये गये सर्वे की प्रकाशित प्रतिवेदन में भारत का स्थान 180 देशों में से 78 वां है तथा भारत का स्कोर 100 में से 41 है। जबकि औसत स्कोर 43 है। इस प्रकार भारत का स्कोर औसत स्कोर से भी नीचे है जोकि चिंता का विषय है।

भ्रष्टाचारजन्य पदीय दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता आदि शासन तंत्र को अनुत्तरदायी एवं संवेदनहीन बना रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रविरोधी है, विकास विरोधी है और जन विरोधी है। अतः इसे समूल नष्ट करने वाला प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिए स्वच्छ ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोकसेवको के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनका अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में सक्षम व सशक्त लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसे संस्थान कारगर हो सकते है।

मुख्य शब्द : नौकरशाही, सच्चरित्रता, कुशासन, लोकतांत्रिक शासन, पदीय दुरूपयोग, संवेदनशील, अकर्मण्यता, लोकपाल, लोकायुक्त।

प्रस्तावना

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्केण्डीनेवियन देशो में की गई। विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में ''औम्बुड्समैन'' के रूप में की गई।[1] ''ओम्बुड्समैन'' स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता अकुशलता, अपारदर्शिता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है।[2] सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पी. वी.राजेन्द्रगढ़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशल जस्टिस'' में कहा है कि ''जब तक हम ओम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते है और संविधान में संशोधन करने अथवा विधानमण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा।''[3] लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं ऐसा दक्ष प्रशासन जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है। सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से और आम लोगो, जिनके पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुँच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त संस्था का सृजन किया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा हरीशचन्द्र माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ''ओम्बुड्समैन'' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की, जिसका कार्य कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामले, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान

नियमों या स्थापित प्रक्रिया के विपरीत एवं उनके विरूद्ध भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, में अन्वेषण करना हो''[4] इसी भांति भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्राब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से संबंधित वर्ष 1966 में अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण तथा दुराचारापूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाये।[5]

सर्वप्रथम, 1970 में उड़ीसा में लोकपाल संस्था की स्थापना हुयी, जिसके पश्चात् 1971 में महाराष्ट्र तथा 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुयी। यद्यपि इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोग की देखभाल के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग अस्तित्व में था किन्तु सरकार के उस तंत्र में किसी ऐसी संस्था का प्रावधान नहीं था जिसके द्वारा मंत्रियों, सचिवों और लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मणयता की शिकायतों की जांच व अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिए तथा स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सी का गठन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की प्रगति के लिए वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश, 1973 पारित हुआ, जिसे 3 फरवरी 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।[6]

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य लोकसेवकों के कदाचरण, पदीय दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत गठित लोकायुक्त संस्था का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विश्लेषण करना है। इसके साथ ही उन बातो को इंगित करना जिससे लोकायुक्त संस्था को और अधिक अर्थपूर्ण एंव प्रभावी बनाया जा सके।

लोकायुक्त संस्था द्वारा प्राप्त शिकायतों अथवा स्वप्रेरणा के आधार पर प्रारंभ की गई जांच एवं अन्वेषण कार्यवाहियों में अधिक प्रभावी रीति से कार्य कर, पूर्ण निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता व्यवहार में लाते हुए लोकप्रशासन में संवेदनशीलता, दक्षता, गति और पारदर्शिता लाने में सफलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। राज्य में एक ऐसी संस्कृति विकसीत करने में समर्थ हो सकेगें, जिसमें समर्पण, वचनबद्धता व उत्तरदायित्व बोध के साथ पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं कुशलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके।

शोध–पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत राजस्थान में भ्रष्टाचार – निवारण में लोकायुक्त की भूमिका एवं इस संबंध में लोकायुक्त के समक्ष प्रमुख चुनौतियों एवं इस मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं के समाधान हेतु उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र सैद्धांतिक विवरण एवं विश्लेषणात्मक अन्वेषण पर आधारित है। इस हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के तथ्यों एवं समंको का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण संबंधी संस्थाओं, प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर के प्रतिवेदनों के अलावा विषय से संबंधित उपलब्ध संदर्भ ग्रंथो का उपयोग कर अध्ययन को अधिक विश्वस्त एवं प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया है।

लोकायुक्त :– संरचना, कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ :

लोकायुक्त संस्था का गठन आम जन को स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 के तहत हुआ। यह एक स्वतंत्र संस्थान है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही उसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।[7] राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्यं न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्षी दल के नेता से परामर्श करने के पश्चात की जाती है।[8] लोकायुक्त को संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अंतर्गत लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोकसेवकों के विरूद्ध आरोपित अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता प्रदान की गई है, ये अभिकथन निम्नानुसार[9] है

1. लोकसेवकों द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुँचाने।
2. अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोकसेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करने।
3. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने।
4. लोकसेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने से संबंधित हो सकते हैं।

अधिनियम की धारा 2(।) में दी गयी लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण की अधिकारिता है।[10]

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद के (मुख्यमंत्री को छोड़कर) सभी सदस्य,
2. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोकसभा में या लोकपद पर नियुक्त व्यक्ति,

3. (i) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप–प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान तथा उप–प्रधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,

   (ii) नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप–महापौर, नगरपालिका/परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का अध्यक्ष।

4. प्रत्येक वह व्यक्ति जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतनभागी है, अर्थात्

   (A) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित अधिसूचित किया जाये,

   (B) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो)

   (C) कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का 51 प्रतिशत या उससे अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिससे समादत अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित है।

   (D) राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई भी सोसायटी जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है, और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया गया है।

जाँच एवं अन्वेषण की प्रकिया

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 में उल्लेखित उपबंधों[11] के अधीन रहते हुए शिकायत की जांच पड़ताल के संबंध में लोकायुक्त को सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है, जिनके आधार पर वे शिकायत के संबंध में किसी भी ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो उनकी राय में जांच संबंधी सूचना देने या सुसंगत कागजात प्रस्तुत करने में समर्थ है, बुला सकते हैं, और उसके शपथ–पत्र पर बयान ले सकते है।[12] लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है।

लोकायुक्त सचिवालय ''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करता है। प्रारम्भिक जांच के दौरान परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध आरोपित अभिकथन प्रथम दृष्टतया प्रमाणित नहीं पाये जाते है तो प्रारम्भिक जांच को बन्द कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है। यदि प्रारम्भिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टतया सही पाये जाते हैं, तो संतुष्ट होने पर राज्य सरकार को यथोचित कार्यवाही की सिफारिश की जाती है। यदि लगाये गये आरोप अंशत या पूर्णतः सिद्ध पाये जाते है तो उनके संबंध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत अन्वेषण प्रतिवेदन उसके सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है। जिससे यदि उपचारी लोक सेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया जाता हो जो दाण्डिक मामला संस्थित करने अन्यथा यथोचित अनुशासनात्मक किये जाने की सिफारिश की जाती है।

लोकायुक्त अधिनियम : प्रस्तावित संशोधन एवं सुझाव

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधानों तथा विभिन्न राज्यों में प्रभावशील सशक्त लोकायुक्त अधिनियमों के पैटर्न पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम,1973 में भी प्रभावी व सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन[13] प्रस्तावित एवं अपेक्षित है–

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) में वर्णित 'लोकसेवक' की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करते हुए राज्य सेवक और मंत्रियों के साथ – साथ मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कानून से गठित सभी संस्थाओं, निगमो, निकायो, राज्य सरकार के स्वत्वाधीन नियंत्रित या वित्तपोषित कम्पनियॉ, निगम, सोसायटी, सार्वजनिक न्यास, राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकायों और समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी लोकायुक्त के जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।
2. अन्वेषण एवं अभियोजन शाखा लोकायुक्त के नियंत्रणाधीन हो ताकि आदेशित जांच अन्वेषण बिना विलम्ब के पूर्ण होकर दोषी लोकसेवक का अभियोजन शीघ्रता से संभव हो सके।
3. लोकायुक्त को जांच हेतु तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए ताकि प्रभावी जांच हो सके।
4. आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित दोषी लोकसेवक का अभियोजन करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जारी करने हेतु लोकायुक्त को अधिकृत किया जाये।
5. लोकायुक्त द्वारा अन्वेषित मामलों की सुनवाई राजस्थान विशेष न्यायालय, अधिनियम, 2012 के अधीन गठित 'विशेष न्यायालय' द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाये ताकि ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा मामले का त्वरित, प्रभावी तथा त्रुटि रहित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
6. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पति को कुर्क करने की शक्ति प्रदान करते हुए 'विशेष न्यायालय' को ऐसी संपतियों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया जाये।
7. लोकायुक्त को ऐसे लोक–सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन के आदेश देने की शक्तियाँ प्रदान की जाये, जिसके विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय में लंबित जांच में ऐसा करना आवश्यक हो।
8. लोकायुक्त द्वारा संपादित कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत करने और जहाँ लोकायुक्त की अनुशंषा को स्वीकार नहीं किया गया

हो, उससे संबंधित रिपोर्ट कारण सहित विधानसभा के पटल पर रखवाने का प्रावधान किया जाये।

9. लोकायुक्त संस्थान के दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए अन्यथा वर्तमान परिस्थितियों में वाँछित उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन है।[14]
10. मामलों की जांच करने के लिए लोकायुक्त के अधीन एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी की स्थापना की जानी चाहिए।
11. व्यवस्था में परिवर्तन के साथ – साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रदेश के हर शहर और गाँव के प्रत्येक विभागो और कार्यालयों के लिए जन सतर्कता समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए, जो कि कार्यालय के कामकाज पर पूर्ण निगरानी रखे।
12. लोकायुक्त का कार्यक्षेत्र केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त मामलों तक ही रहना चाहिए। उन्हें सामान्य लोकशिकायतों की जांच नहीं करनी चाहिए।[15]
13. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की कानूनी कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।[16]
14. विभिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिए जाँच एजेसियों के लिए एक यथोचित समय सीमा नियत की जानी चाहिए।[17]

राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपेक्षित संशोधनों का प्रावधान का समावेश शीघ्रातिशीघ्र किया जाना संभव नहीं है लेकिन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में नये प्रावधान है। इसमें 'लोकसेवक' की परिभाषा व्यापकता लिए हुए। जाँच एवं अन्वेषण हेतु राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अन्य एजेन्सी एवं संस्थाओं तथा व्यक्तियों की सेवाऐं लेने, प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी परिवादों के अन्वेषण पश्चात् विशेष न्यायालयों में अभियोजन चलाने एवं इस हेतु अभियोजन स्वीकृति माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा दी जाने, परिवादी को किसी लोकसेवक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार/कदाचारण के फलस्वरूप हुई क्षति की पूर्ति किया जाना तथा लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पति को जब्त किये जाने एवं तत्संबंधी विशिष्ट प्रावधान इस अधिनियम में है। इन प्रावधानों को राजस्थान के लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण एवं स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेही सुशासन की स्थापना के लिये लोकायुक्त संस्थान को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाना अतिआवश्यक है। इसके साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र के सम्पूर्ण ढांचे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः भ्रष्टाचार का धागा अनेक स्तरों से गुजरता है, जिसमें मंत्रियों और लोकसेवकों की साँठ–गाँठ दिखायी देती है। इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुरूप राज्य में लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन करके लोकायुक्त संस्थान को ओर अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। लोकायुक्त को बहुसदस्य निकाय होना चाहिए तथा राज्य में भ्रष्टाचार निवारण हेतु स्थापित तंत्र के विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। लोकायुक्त संस्थान में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना उचित होगा।

सुशासन की कल्पना नौकरशाही के सहयोग के बिना सँभव नहीं है। नौकरशाही प्रशासन की रीढ़ होती है। यदि नौकरशाही संवेदनशील रहकर जन शिकायतों का पूर्ण निष्पक्षता के साथ निराकरण करें, सार्वजनिक कार्य में अधिकत्तम पारदर्शिता अपनायें ताकि पद के दुरूपयोंग भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर न मिलें।

अंत टिप्पणी

1. *इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमौन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।*
2. *27वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ.सं. –1.*
3. *पूर्वोक्त, पृं.सं. –1*
4. *http://lokayukta.rajasthan.gov.in*
5. *पूर्वोक्त।*
6. *राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973, गवर्नमेण्ट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर 2015 पृ.सं. –2.*
7. *http://lokayukta.rajasthan.gov.in*
8. *राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973, गवर्नमेण्ट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर 2015 पृ.सं. –7–8.*
9. *28वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ.सं. –4.*
10. *पूर्वोक्त पृ. सं. – 5.*
11. *राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर 2015, पृ.सं. –21–22.*
12. *29 वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ. सं. –24.*
13. *31 वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ.सं. 370–373.*
14. *22 वां वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ.सं. –38.*
15. *''शासन में नैतिकता'', चतुर्थ रिपोर्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जनवरी, 2007, पृ.सं. –119.*
16. *पूर्वोक्त, पृ.सं. –123.*
17. *पूर्वोक्त, पृ.सं. –123.*

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

''प्राब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'', अन्तरिम प्रतिवेदन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966.

लोकायुक्त राजस्थान के 30 वर्ष, 1973 – 2003, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर।

''शासन में नैतिकता'', चतुर्थ प्रतिवेदन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जनवरी, 2007.

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 गवर्नमेण्ट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर 2015.

वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

Website Link

www.lokayukta.rajasthan.gov.in
www.transperancyinternational.org